

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

146

जिला-ग्वालियर (म०प्र०) वर्तमान जिला-सिंगरौली



R-1979-II/14

1. रामचन्द्र तनय तिलकधारी गड़ेरी,
2. रामप्रसाद तनय तिलकधारी गड़ेरी,
3. रामकिशुन तनय छोटेलाल गड़ेरी (मृतक)
4. इन्द्रकुमार तनय छोटेलाल गड़ेरी सभी निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील देवसर जिला-सीधी वर्तमान जिला-सिंगरौली (म०प्र०).....आवेदकगण

**बनाम**

1. रामलल्लू तनय राजमन गड़ेरी,
2. जग्यलाल तनय बबई गड़ेरी,
3. बिट्टी तनय लालमन गड़ेरी सभी निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील देवसर जिला-सीधी वर्तमान जिला-सिंगरौली (म०प्र०).....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर  
जिला-सिंगरौली के प्रकरण क्र.  
18/अ-74/2013-14 में पारित  
ओदश दिनांक 20.03.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 52 म०प्र०  
मू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदकगण द्वारा निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :-



1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण अवैध एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक निग1979-II/2014

जिला-सिंगरौली

रामचन्द्र गड़ेरी / रामलल्लू गड़ेरी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 18/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	

